[2018] 14 एस. सी. आर. 299

लूरमबाम देबेन सिंह और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ। ईटीसी।

नवंबर 12, 2018

[मदन बी. लोकुर और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

(2018 की संख्या 125554) में रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2018 का 205

CRL.M. संख्या 2018 की 125554 में, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2018 की 205

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, के साथ Crl.M.P. रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2018 की 125550और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2018 का 205 & 206 2018 से।

उपस्थित पक्षों के लिए- सचिन शर्मा, सत्य मित्रा, विद्वान अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

मदन बी. लोकुर, जे.

1. ये रिट याचिकाएँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मणिपुर पुलिस के कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा दायर की गई हैं । हमें यह बताया गया है कि इन याचिकाओं को भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और मणिपुर पुलिस के कुछ सौ अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। ये याचिकाएँ अतिरिक्त-न्यायिक निष्पादन पीड़ित परिवार संघ वी. भारत संघ में हमारे द्वारा दिए गए निर्णय और उसके बाद जारी परमादेश के माध्यम से पारित आदेशों का परिणाम हैं। रिट याचिकाओं में प्रार्थना हमारे द्वारा की गई कुछ मौखिक टिप्पणियों को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश के लिए है, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है , रिट याचिकाओं पर निर्णय लंबित

होने तक, यह प्रार्थना की जाती है कि हमें मामले में जारी परमादेश के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

2. इन रिट याचिकाओं में विशेष रूप से इस निर्देश के लिए अंतरिम आवेदन भी दिए गए हैं कि हमें इन रिट याचिकाओं की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए, जिन्हें इस न्यायालय की दूसरी पीठ के समक्ष विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

3. अंतरवर्ती आवेदनों में हमारे समक्ष अस्वीकृति के लिए कही गई थीं, लेकिन हमें इन आवेदनों में कोई योग्यता नहीं मिली और इसलिए उन्हें खारिज कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

4. 8 जुलाई, 2016 को हमने न्यायेतर निष्पादन पीड़ित परिवार एसोसिएशन वी. बनाम भारत संघ (2016) 14 एससीसी 536), में फैसला सुनाया। हमने रिट याचिका में लगाए गए आरोपों को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया है:

> "रिट याचिका में लगाए गए आरोप उन आरोपों से संबंधित हैं जिन्हें फर्जी मुठभेड़ों या न्यायेतर निष्पादन के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि मणिपुर पुलिस और सेना सहित संघ के सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के अनुसार, मुठभेड़ वास्तविक हैं और पीड़ित उग्रवादी या आतंकवादी या उग्रवाद विरोधी या आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए विद्रोही थे। क्या आरोप पूरी तरह या आंशिक रूप से सच हैं या पूरी तरह से बकवास हैं और मुठभेड़ वास्तविक है या नहीं यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी मामले में सच्चाई जानने की जरूरत है।
>
> पिछले कुछ वर्षों में सत्य जानने के अधिकार का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस अधिकार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा मानवाधिकार आयोग के बासठवें सत्र में व्यक्त किया गया था। सत्य के अधिकार पर एक अध्ययन में, पैरा 8 में यह कहा गया था कि यद्यपि इस अधिकार की उत्पत्ति जबरन गायब करने में हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसमें अतिरिक्त-न्यायिक निष्पादन भी शामिल हो गया है। यह पैराग्राफ इस प्रकार है:

"1970 के दशक में जबरन गायब करने की प्रथा के उद्भव के साथ , सत्य के अधिकार की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार निकायों और विशेष प्रक्रिया जनादेश-धारकों के बढ़ते ध्यान का उद्देश्य बन गई। विशेष रूप से, चिली में मानवाधिकारों पर तदर्थ कार्य समूह , जबरन या अनैच्छिक गायब होने पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीईआईडी) और मानव अधिकारों पर अंतर -अमेरिकी आयोग (आईएसीएचआर) ने अपराध के संबंध में इस अधिकार पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किया है। जबरन गायब करना। इन तंत्रों ने शुरू में इस अधिकार के लिए कानूनी स्रोत 12-8-1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 32 और 33 पर आधारित किया। टिप्पणीकारों ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। हालाँकि, हालाँकि इस अधिकार को शुरू में केवल जबरन गायब किए जाने के संदर्भ में संदर्भित किया गया था, इसे धीरे-धीरे अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों तक बढ़ा दिया गया है , जैसे कि अतिरिक्त - न्यायिक निष्पादन और यातना | मानवाधिकार समिति ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के एक राज्य पक्ष से यह गारंटी देने का आग्रह किया है कि मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को किए गए कृत्यों के संबंध में सच्चाई पता है और पता है कि ऐसे कृत्यों के अपराधी कौन थे। [मानवाधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण : सत्य के अधिकार पर अध्ययन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की रिपोर्ट ; 8-2-2006. मानवाधिकार आयोग, बासठवाँ सत्र, अनंतिम एजेंडे का आइटम 17।] सत्य को जानना आवश्यक है ताकि कानून को न्याय के साथ जोड़ा जा सके। सच्चाई जानने की कवायद में यह पता लगाना अनिवार्य है कि क्या फर्जी मुठभेड़ या गैर-न्यायिक फांसी हुई है और यदि हां, तो मानवाधिकार उल्लंघन के अपराधी कौन हैं और निकटतम रिश्तेदारों को किस तरह से माफ किया जा सकता है और आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए , यदि कोई।"

5. निर्णय का निष्कर्ष निकालते समय , हमने पाया कि प्रत्येक मामले के संबंध में सटीक और पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी , जिसके बारे में एक्स्ट्रा -ज्यूडिशियल एक्ज़ीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज़ एसोसिएशन या ईईवीएफएएम ने शिकायत की थी। तदनुसार , हमने निम्नानुसार अवलोकन और निर्देशन किया:

"दुर्भाग्य से, हमें उन 1528 मामलों में से प्रत्येक के बारे में सटीक और पूरी जानकारी नहीं दी गई है जिनके बारे में याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की है। इसलिए, कोई भी अंतिम निर्देश दिए जाने से पहले इस जानकारी को प्राप्त करने और उसका मिलान करने की आवश्यकता है। विद्वान न्याय मित्र ने हमें बताया है कि 62 में से 15 मामले ऐसे हैं जिनमें न्यायमूर्ति हेगड़े आयोग या गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई न्यायिक जांच में यह माना गया है कि मुठभेड़ फर्जी थीं। दूसरी ओर, एनएचआरसी ने हमें सूचित किया है कि 62 में से 31 मामले ऐसे हैं जिनमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मुठभेड़ वास्तविक नहीं थीं और पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना या मुआवजे का पुरस्कार लंबित है।

इसलिए, पहले कदम के रूप में, हम निर्देशित करते हैं:

याचिकाकर्ताओं ने जिन 62 मामलों का दस्तावेजीकरण किया है , उनमें से उनके प्रतिनिधि और विद्वान न्यायमित्र एक सरल सारणीबद्ध बयान तैयार करेंगे , जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि क्या प्रत्येक मामले में न्यायिक जांच या एनएचआरसी द्वारा जांच या जांच आयोग अधिनियम, 1952, के तहत जांच की गई है और जांच का परिणाम और क्या मृतक के निकटतम परिजन द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत या याचिका दायर की गई है। हम एनएचआरसी से इस संबंध में विद्वान न्यायमित्र को सहायता प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि चूंकि मजिस्ट्रेट जांच न्यायिक जांच नहीं है और , जैसा कि ऊपर बताया गया है , मजिस्ट्रेट जांच को कोई महत्व देना संभव नहीं है , सारणीबद्ध विवरण में मजिस्ट्रेट पूछताछ शामिल नहीं होगी।

याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि और विद्वान न्यायमित्र शेष मामलों (1528 घटा 62) पर फिर से विचार करेंगे और उपरोक्त के समान कार्रवाई करेंगे। यह अभ्यास उन मामलों को खत्म करने के लिए आयोजित किया जाना आवश्यक है जिनमें पीड़ित की पहचान या घटना की जगह या किसी अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है और फिर सरल सारणीबद्ध रूप में मामलों का एक सटीक और विश्वसनीय चार्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. इसके बाद, 14 जुलाई, 2017 को हमने मामले को फिर से उठाया , अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या हमने अपने फैसले और 8 जुलाई, 2016 के

आदेश में जो पहला कदम निर्देशित किया था , उस पर कार्रवाई की गई थी। इस पर विचार करते समय, हमने वह दर्ज किया जिसे मामले की पृष्ठभूमि के रूप में निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया जा सकता है:

> "वर्तमान याचिकाओं में, आरोप था कि पुलिस कर्मियों और संघ के सशस्त्र बलों की वर्दी में कर्मियों द्वारा फर्जी मुठभेड़ों में 1528 लोगों को मार दिया गया था। हमारे निर्णय और आदेश दिनांक 8-7-2016 द्वारा न्यायेतर निष्पादन पीड़ित परिवार एसोसिएशन वी. बनाम भारत संघ , (2016) 14 एससीसी 536: (2016) 14 एससीसी 578 (2)] हमने नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण का सम्मानपूर्वक पालन किया। [नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ, (1998) 2 एससीसी 109] में संविधान पीठ ने कहा कि वर्दीधारी कर्मियों द्वारा अत्यधिक बल या जवाबी बल के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मौत के आरोप के लिए घटना की गहन जांच की आवश्यकता है। हमारी राय थी कि यहां तक कि सेना प्रमुख कि न्यायेतर निष्पादन पीड़ित परिवार एसोसिएशन वी. बनाम भारत संघ के "क्या करें और क्या न करें " और "दस आज्ञाएँ" सेना के कर्मचारी इस लोकाचार में विश्वास करते हैं और इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। हालाँकि, कानून की दलीलों पर विचार करने के बाद , हमने पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की तुरंत किसी भी जांच का आदेश देने के लिए दस्तावेज अपर्याप्त थे और इसलिए उन्हें यह बताने वाले दस्तावेज पूरे करने का निर्देश दिया कि क्या आरोप किसी न्यायिक जांच या की गई जांच पर आधारित थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा या जांच आयोग अधिनियम, 1952, के तहत की गई जांच। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा एक सारणीबद्ध बयान दायर किया गया है और इस बयान को विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। भारत संघ या मणिपुर राज्य द्वारा। इसलिए हम हमारे सामने सारणीबद्ध विवरण के आधार पर आगे बढ़ते हैं।

> याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं में कथित 1528 में से 655 मौतों के संबंध में जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम हैं। ब्रेक-अप इस प्रकार है:

क्र.सं. संख्या	विवरण	मामलों की संख्या
1.	जाँच आयोगों के मामले	35
2.	न्यायिक जाँच और उच्च न्यायालय के मामलों	37
3.	एन. एच. आर. सी. मामले	23
4.	लिखित शिकायत के मामले	170
5.	मौखिक शिकायत के मामले	78
6.	प्रत्यक्षदर्शी के मामले	134
7.	परिवार द्वारा दावा किए गए मामलों	178
	कुल संख्या	655

हमने क्र.सं. संख्या विवरण मामलों की संख्या , लिखित शिकायतों, मौखिक शिकायतों और प्रत्यक्षदर्शी खातों के साथ-साथ परिवार द्वारा दावा किए गए मामलों के संबंध में दिए गए सारणीबद्ध विवरण का अध्ययन किया है, लेकिन पाया कि एक साधारण आरोप लगाए जाने के अलावा, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है या तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करके या संबंधित उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को शिकायत करके लिया गया है। आरोप बहुत सामान्य प्रकृति के होने के कारण , हम इन लिखित शिकायतों, मौखिक शिकायतों, प्रत्यक्षदर्शी खातों वाले मामलों और परिवार द्वारा दावा किए गए मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में फिलहाल कोई निर्देश

पारित करना उचित नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक आरोप की जरूरी जांच होनी चाहिए. यह याद रखना चाहिए कि हम व्यक्तिगत मामलों से नहीं बल्कि संवैधानिक आपराधिक कानून से संबंधित एक प्रणालीगत या संस्थागत प्रतिक्रिया से निपट रहे हैं। (हमारे द्वारा दिया गया जोर)

7. इसके बाद, मामले के कानून और विद्वान अमीकस और विद्वान अटॉर्नी जनरल सहित पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद , हमने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

"मुद्दों पर संपूर्णता से विचार करने के बाद, हमारी राय है कि यह उचित होगा यदि केंद्रीय जांच ब्यूरो (या सीबीआई) को इन फर्जी मुठभेड़ों या अत्यधिक या जवाबी बल के उपयोग की जांच करने की आवश्यकता हो। तदनुसार, सीबीआई के निदेशक को ऊपर दी गई तीन तालिकाओं में उल्लिखित मामलों के रिकॉर्ड का अध्ययन करने, आवश्यक एफआईआर दर्ज करने और 31-12-2017 तक जांच पूरी करने और तैयारी करने के लिए पांच अधिकारियों के एक समूह को नामित करने का निर्देश दिया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, आरोप-पत्र। संपूर्ण जमीनी कार्य या तो जांच आयोगों द्वारा या न्यायिक जांच द्वारा या गौहाटी या मणिपुर उच्च न्यायालय या एनएचआरसी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। हम कानून के अनुसार , पहले से एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करने की जिम्मेदारी विशेष जांच दल पर छोड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मणिपुर राज्य विशेष जांच दल को पूर्ण सहयोग और सहायता देगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि भारत संघ विशेष जांच दल को बिना किसी अनावश्यक रुकावट या बाधा के जल्द से जल्द जांच पूरी करने में पूर्ण सहायता प्रदान करेगा। सीबीआई के निदेशक टीम को नामित करेंगे और दो सप्ताह के भीतर हमें इसकी संरचना के बारे में सूचित करेंगे।"

8. नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ, मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून और न्यायेतर निष्पादन पीड़ित परिवार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [ईईवीएफएएम] में इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद। ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई लापरवाही

से कार्रवाई कर रही थी और जांच पूरी करने में अपना समय ले रही थी , जिसे 31 दिसंबर, 2017 तक पूरा करना था और जहां भी आवश्यक हो , आरोप-पत्र/अंतिम रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक था।

9. 8 जनवरी, 2018 के हमारे आदेश में, हमने नोट किया कि 23 नवंबर, 2017 को सीबीआई ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की ताकत बढ़ाने के लिए कहा था और हमने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हमने नोट किया कि हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस मामले को सीबीआई और एसआईटी द्वारा उस गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जिसके वह हकदार है।

10. इसके बाद ई. ई. वी. एफ. ए. एम. मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और 27 जुलाई 2018 को हमने देखा कि कोई अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की गई थी, लेकिन उनमें से एक के संबंध में 24 जुलाई 2018 को मंजूरी दे दी गई थी और दूसरे के संबंध में मंजूरी दे दी गई थी। 26 जुलाई, 2018 को प्रदान किया गया। दो अन्य मामले अनुमोदन के लिए लंबित थे। हमने यह भी देखा कि जांच में अनावश्यक रूप से लंबा समय लग रहा था और हम सीबीआई द्वारा अब तक की गई प्रगति से संतुष्ट नहीं थे। परिणामस्वरूप, हमने सीबीआई के निदेशक से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की कि जांच जल्दी पूरी हो और अंतिम रिपोर्ट यथासंभव शीघ्रता से दाखिल की जाए। इस उद्देश्य के लिए, हमें 30 जुलाई, 2018 को सीबीआई के निदेशक की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता थी।

11. 30 जुलाई 2018 को सीबीआई के निदेशक कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने हमें बताया कि दो आरोप पत्र दायर किए गए थे जिनमें 14 अभियुक्त व्यक्ति थे और उन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित 120-बी (हत्या और आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। यह भी बताया गया कि इन अभियुक्तों को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देना) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि कुछ और अंतिम रिपोर्ट /चार्जशीट दाखिल की जाएंगी, जिससे कुल सात अंतिम रिपोर्ट/चार्जशीट बन जाएंगी। 30 जुलाई, 2018 को हमने ईईवीएफएएम के विद्वान वकील की दलील भी दर्ज की कि चूंकि आरोपी व्यक्तियों पर उपरोक्त दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया

गया है, इसलिए उन्हें आम तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और जहां समान अपराधों के संबंध में जांच चल रही है, हिरासत में पूछताछ की जाएगी। आवश्यक होना। हमने सबमिशन रिकॉर्ड किया लेकिन इसे पूरी तरह से सीबीआई के निदेशक और एसआईटी के विवेक पर छोड़ दिया कि क्या गिरफ्तारी की जानी चाहिए और क्या हिरासत में पूछताछ की जानी चाहिए। हम उल्लेख कर सकते हैं कि हमें सूचित नहीं किया गया है कि क्या, अब तक, कोई गिरफ़्तारी की गई है या नहीं और क्या कोई हिरासत में पूछताछ की गई है।

वर्तमान अनुप्रयोग

12. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि 30 जुलाई, 2018 को ईईवीएफएएम द्वारा दायर याचिका की निरंतर परमादेश सुनवाई के दौरान कुछ मौखिक टिप्पणियां की गईं और हमें जिम्मेदार ठहराया गया। हमें पाठ की सत्यता या की गई टिप्पणियों के अन्यथा या उस संदर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं है जिसमें वे किए गए थे। मामले का तथ्य यह है कि जो टिप्पणियाँ की गई थीं, उन्हें अलग-अलग डिग्री की सटीकता और पूर्णता के साथ प्रेस में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था। इन टिप्पणियों के कारण वर्तमान दो रिट याचिकाएँ दायर की गईं। दोनों रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थना समान है। फ़िलहाल, हम रिट याचिकाओं के रखरखाव या अन्यथा या यहां याचिकाकर्ताओं को अंतिम राहत देने से चिंतित नहीं हैं। हम दोनों रिट याचिकाओं में दिए गए निर्देशों के लिए आवेदनों को लेकर चिंतित हैं। इन आवेदनों में की गई प्रार्थना इस प्रकार है:

> "निर्देश दें कि माननीय श्री न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और माननीय श्री न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की माननीय पीठ वर्तमान रिट याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर ले और माननीय न्यायालय कानून के अनुसार इस रिट याचिका को किसी अन्य पीठ द्वारा सुनवाई के लिए रखा जाए।"

13. आवेदनों में, याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों का संदर्भ दिया है और यह प्रस्तुत किया है कि देश की सर्वोच्च अदालत से आने वाली कथित टिप्पणियों ने याचिकाकर्ताओं के मन में ईईवीएफएएम के निष्पक्ष तरीके के बारे में एक वास्तविक आशंका पैदा कर दी है। इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। आगे यह कहा किया गया है कि इस न्यायालय की किसी अन्य पीठ द्वारा उस मामले की सुनवाई न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के

लिए आवश्यक है, लेकिन प्रार्थना को पीठ पर आक्षेप लगाने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया गया है और दोहराया गया है कि जिस तरह से बेंच मामले को आगे बढ़ा रही है, उसके बारे में आवेदकों के मन में एक वास्तविक आशंका है और यह कहा किया गया है कि यह आशंका किसी अस्पष्ट बयान/राय पर आधारित नहीं है, बल्कि रिपोर्ट पर आधारित है । 30 जुलाई, 2018 को हुई कार्यवाही की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रत्येक आवेदक /याचिकाकर्ता के 'अपराध' को पूर्वाग्रह से ग्रसित कर दिया गया है, हालांकि केवल धारा 173(2) के तहत एक पुलिस रिपोर्ट है । दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का मामला दायर किया गया है। आवेदकों/याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में कुछ निर्णयों /केस कानूनों का उल्लेख किया है और उनके विद्वान वकील ने आवेदन की सुनवाई के दौरान कुछ अन्य निर्णयों का उल्लेख किया है। यह सब लिखित प्रस्तुतियाँ द्वारा पूरक था। जिन प्रमुख निर्णयों पर भरोसा किया गया वे थे : (i) मनोज नरूला बनाम। भारत संघ, (ii) उस्मांगनी आदमभाई वहोरा बनाम। गुजरात राज्य, (iii) कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल, और (iv) उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (निरस्तीकरण मामला)। कुछ विदेशी क्षेत्राधिकारों के निर्णयों को भी संदर्भित किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है।

प्रविष्टियों

14. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी जनरल ने आवेदनों में की गई प्रार्थना का समर्थन किया लेकिन कोई लिखित दलील दाखिल नहीं की। विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का मनोबल गिराने वाला प्रभाव पड़ा| भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और मणिपुर पुलिस या किसी भी घटना में, इसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में इन बलों के मनोबल को प्रभावित किया है।

15. इन प्रस्तुतियों के जवाब में, ईईवीएफएएम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप लापरवाह थे और समाचार पत्रों में लेखों को पढ़े बिना लगाए गए थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अदालत पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे और सावधानीपूर्वक अध्ययन और अदालत में मौजूद लोगों से तथ्यों की जांच करने के बाद लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया लगता है वर्तमान मामले में. तब विद्वान वकील ने एक मामले से न्यायाधीशों को अलग करने के विषय

पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया। आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों पर अपनी व्याख्या देने के अलावा , ईईवीएफएएम के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत किया कि आवेदकों/याचिकाकर्ताओं का प्रयास इस न्यायालय पर मामले से हाथ खींचने के लिए दबाव डालना था।

16. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों /याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन दुर्भावनापूर्ण थे और स्थूल फोरम शॉपिंग के समान थे। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदनों के साथ-साथ रिट याचिकाओं को अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए। यह प्रस्तुत कहा गया कि भले ही विद्वान अटॉर्नी जनरल ने अलग होने की प्रार्थना का समर्थन किया , उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पक्ष इस न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई के निदेशक द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा की गई जांच में सत्यनिष्ठा या निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहा है। . उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह की गई दलीलें समाचार रिपोर्टों के चुनिंदा पढ़ने पर आधारित थीं और यहां तक कि यह मानते हुए कि इस न्यायालय को जो जिम्मेदार ठहराया गया था वह सही था , टिप्पणियां उन अधिकारियों के परीक्षण में बाधा या प्रभाव नहीं डाल सकतीं जो आरोप हैं - चादरदार. उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर , इस अदालत ने स्पष्ट रूप से मामले को सीबीआई के निदेशक और एसआईटी के विवेक पर छोड़ दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का अदालत के एक अधिकारी के रूप में कर्तव्य था कि वे विशेष रूप से 30 जुलाई, 2018 को पारित आदेश के मद्देनजर मामूली आधार पर पक्षपात के आरोप लगाने से बचें। विद्वान न्यायमित्र ने इस विषय पर कुछ निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने खुद को अलग कर लिया और कहा कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, सीबीआई या एसआईटी द्वारा जांच की निगरानी आवश्यक थी। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि यदि वर्तमान आवेदनों को अनुमति दी जाती है , तो उन सभी मामलों में जहां इस न्यायालय के न्यायाधीश ऐसी जांच करते हैं जो जांच कर रही हैं या मामले में किसी एक पक्ष के लिए असुविधाजनक भी हैं , उन्हें खुद को अलग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। विद्वान न्यायमित्र ने आर. के. आनंद बनाम पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, की ओर ध्यान आकर्षित किया।

17. आवेदकों/याचिकाकर्ताओं की प्रभावी प्रार्थना यह है कि 30 जुलाई, 2018 को इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर , जांच की निगरानी इस न्यायालय के

न्यायाधीशों के एक अन्य समूह द्वारा की जानी चाहिए। हमसे इस आधार पर इनकार करने की मांग की गई है कि कथित तौर पर की गई टिप्पणियों के परिणामस्वरूप , आवेदकों/याचिकाकर्ताओं को वास्तविक आशंका है कि या तो जांच या परीक्षण (यदि कोई हो) उनके पूर्वाग्रह के कारण दूषित हो जाएगा।

18. विद्वान अटॉर्नी जनरल, विद्वान वकील और विद्वान न्यायमित्र को सुनने के बाद और दायर लिखित दलीलों को पढ़ने के बाद, हमारा विचार है कि आवेदकों/याचिकाकर्ताओं की यह आशंका कि उनके साथ न्याय नहीं होगा, यदि निराधार नहीं है तो गलत है।

फ़ैसला-

19. जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है और जिन पर भरोसा किया गया है उन पर हमारे द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया है। उद्धृत निर्णयों में अस्वीकृति पर चर्चा को विस्तृत रूप से निपटाया गया है और इसमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें ईईवीएफएएम और उद्धृत मामलों में एक महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषता मिलती है।

20. यह निर्विवाद है कि ईईवीएफएएम मामला विद्रोहियों के रूप में वर्णित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है। सेना, अर्धसैनिक बलों और मणिपुर पुलिस द्वारा चलाए गए अभियानों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मारे गए। ऐसे व्यक्तियों की मौत/ हत्या उचित थी या नहीं यह एसआईटी की जांच का विषय है। यह किसी का मामला नहीं है कि सीबीआई या एसआईटी आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही थी। इसके विपरीत , विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि जांच की सत्यनिष्ठा या निष्पक्षता प्रश्न में नहीं थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी ने भी इस पर विवाद नहीं किया।

21. विशिष्ट विशेषता यह है : ईईवीएफएएम में उठाए गए वास्तविक कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों पर हमारे द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और जो कुछ बचा है वह न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निरंतर परमादेश है। ईईवीएफएएम की सुनवाई के दौरान और ठोस कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों पर निर्णय दिए जाने के बाद भी , किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह का कोई आरोप या कोई आशंका नहीं थी कि न्याय नहीं किया जाएगा या किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। यह केवल निरंतर परमादेश चरण में है

कि विवाद उठाया गया है और वह भी इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के आधार पर।

22. निरंतर परमादेश चरण में जो लंबित है वह अदालत के आदेशों का कार्यान्वयन है जिसके लिए सीबीआई और सीबीआई के निदेशक द्वारा गठित एसआईटी द्वारा निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। एसआईटी की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। दरअसल, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी सीबीआई और एसआईटी द्वारा की गई जांच की क्षमता, विशेषज्ञता और निष्पक्षता पर विवाद नहीं कर रहा है।

23. आवेदनों की सुनवाई के दौरान और लिखित प्रस्तुतियों में भी, जांच की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं जताया गया है। किसी भी घटना में, हम यह स्पष्ट करते हैं कि देश का कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी, और इसका मतलब है कि कोई भी, जांच अधिकारी या जांच दल द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह कानून अच्छी तरह से स्थापित है और इस पर दोबारा विचार की जरूरत नहीं है। निरंतर परमादेश का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि जांच के दौरान किसी की ओर से कोई हस्तक्षेप न हो, चाहे वह राजनीतिक दबाव या कार्यकारी दबाव या किसी अन्य दबाव (जैसा कि लगता है, 'न्यायिक दबाव' सहित) के कारण हो, जिससे समझौता हो सकता है जांच. यह केवल तभी होता है जब जांच अधिकारी या जांच दल को खुली छूट दी जाती है कि जांच सार्थक, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा के साथ होगी।

24. निरंतर परमादेश का एक अन्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच अधिकारी या जांच दल (जैसा भी मामला हो) किसी भी कारण से, दबाव के कारण या गलत दिशा के कारण जांच के प्राकृतिक पाठ्यक्रम से विचलित न हो। कोई अन्य बाहरी कारण. यह एक सतत परमादेश में जांच की निगरानी में संवैधानिक न्यायालय की सीमित भूमिका है।

25. नतीजतन, यह आशंका कि 30 जुलाई, 2018 को इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां एसआईटी को प्रभावित करेंगी, गलत है।

26. यह भी उतना ही स्पष्ट है कि एक बार जब न्यायिक प्रक्रिया अंतिम रिपोर्ट या आरोप पत्र, जैसा भी मामला हो, दाखिल करने के साथ शुरू हो जाती है, तो संबंधित अदालत

कार्यवाही के पूर्ण प्रभार और पूर्ण नियंत्रण में होती है। कोई भी, और इसका फिर से मतलब यह है कि कोई भी, न्यायिक कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप नहीं कर सकता है अन्यथा यह न्याय के उचित पाठ्यक्रम या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप होगा। यही कारण है कि जब जांच पूरी हो जाती है और अंतिम रिपोर्ट या आरोप पत्र दायर किया जाता है , तो संवैधानिक न्यायालय मामले में आगे की प्रगति से अपने हाथ खींच लेता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और जहां तक ईईवीएफएएम मामले का सवाल है, किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है कि मामले से निपटने वाले किसी भी ट्रायल जज ने स्वतंत्रता की कमी दिखाई है। न्याय की उचित प्रक्रिया या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप से प्रतिकूल परिणाम होंगे। इसलिए, आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के लिए यह आशंका रखना अनुचित है कि ट्रायल जज 30 जुलाई, 2018 को इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित होंगे। आवेदक/याचिकाकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से, शायद अनजाने में हैं , न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे हैं।

27. इस चर्चा का निष्कर्ष यह है कि जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है और अदालतें न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। अपवाद तब हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, जब जांच के प्राकृतिक पाठ्यक्रम से अनुचित विचलन होता है या न्यायिक प्रक्रिया में अवैध हस्तक्षेप होता है। ऐसी स्थिति दुर्लभ होगी और मामले दर मामले के आधार पर इससे निपटना होगा और इसे रोकने के लिए संवैधानिक न्यायालय असाधारण अवसरों पर जांच की निगरानी करेंगे। नतीजतन, आवेदकों/याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई आशंका कि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण एसआईटी द्वारा जांच में हस्तक्षेप किया जाएगा, पाठ्यक्रमों द्वारा उचित न्यायिक प्रक्रिया में सभी हस्तक्षेप वास्तविक या उचित नहीं हैं।

28. विद्वान वकील और विद्वान न्यायमित्र द्वारा हमारे सामने उद्धृत निर्णय हमारे सामने आने वाली स्थिति से संबंधित नहीं हैं।

29. आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष कुछ अन्य तर्क रखे गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ एसआईटी द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों पर प्रभाव डाल सकती हैं। हमें ऐसी किसी भी आशंका का कोई आधार नहीं मिलता. एसआईटी स्वतंत्र है और अब तक एसआईटी की कार्यप्रणाली पर अनुचितता का कोई

आरोप नहीं लगाया गया है। इस न्यायालय या उस मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ जांच पर तब तक प्रभाव नहीं डाल सकतीं जब तक कि वे पेशेवरों द्वारा आयोजित की जाती हैं और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसआईटी में पेशेवर शामिल हैं जो इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे। परमादेश प्रक्रिया जारी रहेगी |

30. यह भी कहा गया था और इस तरक दिया कि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने समर्थन किया था कि भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और मणिपुर पुलिस को इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से हतोत्साहित किया गया है। यह काफी व्यापक प्रस्तुतिकरण है। किसी भी स्थिति में, हमारी राय में, यह हर किसी के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि भारतीय सेना , अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के अधिकारी और कर्मी जितना पेश किए जाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं अधिक सख्त चीजों से बने हैं और उन्हें टिप्पणियों से शायद ही हतोत्साहित किया जा सकता है। किसी के द्वारा बनाया गया हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के मनोबल को गिराने का हौव्वा खड़ा किया जा रहा है। हम इसका कारण समझ नहीं पा रहे हैं . जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है , भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और मणिपुर पुलिस कठोर तत्वों से बनी हैं और इतनी मजबूत अनुशासित सेनाएं हैं कि हर चीज को अपने हिसाब से ले सकती हैं। यह तर्क देना कि इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों ने भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और मणिपुर पुलिस को हतोत्साहित किया है, उनमें कमजोरी का संकेत है। जो भी हो, यह वास्तव में तर्क को लुप्त बिंदु तक खींच रहा है।

31. इसके अलावा, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और मणिपुर पुलिस के हतोत्साहित होने के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। यह केवल किसी अथाह कारण से किया गया निवेदन है।

32. जारी आदेश जारी रहना चाहिए और अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्रों से निपटने वाली एसआईटी और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखा जाना चाहिए। इसलिए , भले ही आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के पास यह संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि एसआईटी या न्यायपालिका इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित होगी , संदेह के किसी भी अवशेष को दूर करने के लिए, हम इसे बिल्कुल स्पष्ट करते हैं 30 जुलाई, 2018 को जारी

परमादेश के माध्यम से इस न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन के दौरान की गई या की गई कोई भी टिप्पणी किसी भी तरह से स्वतंत्रता , अखंडता और निष्पक्षता से समझौता करने के इरादे से नहीं की जानी चाहिए। एसआईटी और संबंधित न्यायाधीश। सीबीआई और न्यायपालिका की संस्थागत अखंडता को सकारात्मक रूप से बनाए रखना आवश्यक है।

33. हम इन आवेदनों में कोई योग्यता नहीं देखते हैं और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है। रिट याचिकाओं को प्रारंभिक सुनवाई के लिए 26 नवंबर, 2018 को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध किया जाए।

याचिका खारिज |

जे. (मदन बी. लोकुर)

Md Safdar Ali Naiyar

संदर्भित किया गया है-

(2016) 14 एससीसी 536 [2018] 14 एस. सी. आर., (2014) 9 एससीसी, (2016) 3 एससीसी 370, (2009) 6 एससीसी 260, (2009) 8 एससीसी 106, [2018] 14 एस. सी. आर., (2009), ((2016) 5 एस. सी. सी. 808, (2014) 9 SCC 1 4 (2016) 3 SCC 370 5 (2009) 6 SCC 260 (2009) 8 एससीसी 106, (2016) 14 एस. सी. सी. 536, [1997] 5 पूरक। एससीआर 469, [2014] 9 एससीआर 965, [2016] 1 एससीआर 56, [2009] 9 एससीआर 194, (2016) 5 एस. सी. सी. 808, [2009] 11 एससीआर 1026.